

PAKUR NAGAR PARISHAD

कारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किच गज संम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 347535190518050535
Date : 19-05-2018
प्राप्ती : 1 2018-2019

श्री/श्रीमती/सुश्री RASHMUNI DEVI W/O SATYDEO PRASAD GUPTA,
महोदय MALGODDAMAN ROAD PAKUR, 9771523966
PAKUR, 816107

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0150000119000M0 बार्ड सं. 15 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण धोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अगुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्र.सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	170.00
2.	जल कर	0.00
3.	शीटालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		170.00



नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, PAKUR NAGAR PARISHAD Website, www.jharkhand.sudana.net पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कोडिका 11.4 के आलेख में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण प्रति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियाजत दी जाएगी।
5. किसी देय प्रति को लिस्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई धोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-धोषणा पत्र की स्थापना जहाँ यथा समय निगम करा सकती है एवं तद्व्यय गलत पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अगुसार निर्धारित शांति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगी।
7. PAKUR NAGAR PARISHAD द्वारा संचालित इस सम्पत्ति कर इन इमरती/दोषों को कोई कार्रवाई हेतु प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों/दखलदारों को कोई कार्रवाई अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होस्टिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह लिस्ट संख्याओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print

To be signed by the Applicant